वित्तीय स्वीकृति / आयोजनेत्तर

संख्या 478/XVII(1)-2/06-10(05) 2007

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

विकलांगजन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादून दिनांक : 06 सितम्बर, 2007

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष में विकलांगजन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन के लिए विकलांगजन आयुक्त कार्यालय हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 599/XXVII/(1)/2007 दिनांक 12 जुलाई, 2007 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष में विकलांगजन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन के लिए विकलांगजन आयुक्त, कार्यालय हेतु रू 15,30,000/- (पन्द्रह लाख तीस हजार मात्र) **(जिसमें लेखानुदान के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित की गयी धनराशि भी सम्मिलित है)** को चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य /लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदो में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए।
7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
10. समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध करायें।
11. बी०एम०-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 73/XXVII(7)/2007/डी०डी०ओ०/2005 दिनांक 01.12.2005 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-15 के "आयोजनेत्तर पक्ष" में संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या : 217(NP)/XXVII(3)/07 दिनांक 05 सितम्बर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 5?8/XVII(1)-2/06-10(05) 2007, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. समाज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

विनीता कुमार

(विनीता कुमार)
अपर सचिव।

अनुदान संख्या 15 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–101–11–00
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
उप शीर्षक : 11–विकलांगजन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रुपये में)

मानक मद	अवंटित धनराशि
01–वेतन	250
02–मजदूरी	50
03–महगाई भत्ता	150
04–यात्रा व्यय	30
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30
06–अन्य भत्ते	20
07–मानदेय	20
08–कार्यालय व्यय	20
09–विद्युत देय	20
10–जलकर/जलप्रभार	25
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1
13–टेलीफोन पर व्यय	40
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	135
18–प्रकाशन	50
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	150
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1
22–अतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	10
26– मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	60
42–अन्य व्यय	50
44–प्रशिक्षण व्यय	10
45–अवकाश यात्रा व्यय	50
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50
48–महगाई वेतन	125
योग	1530

(रुपये पन्द्रह लाख तीस हजार मात्र)

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।